संख्या-02/2019/321/38-3-2019-54एल0सी0/2004

प्रेषक,

लाल धीरेन्द्र राव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-3 लखनऊः- दिनांक 27 फरवरी,2019

विषयः- ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत स्वीकृत संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी के अस्थाई पदों के स्थायीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-369/स्था0प्र0/2019, दिनांक 25 फरवरी, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी के संलग्नक में उल्लिखित अस्थाई पदों को दिनांक 26.02.2019 से स्थाई किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्त पदों के पद धारकों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते, जो उन्हे अनुमन्य हो, भी देय होंगे।

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अस्थाई पदों के दिनांक 26.02.2019 से स्थाई हो जाने के फलस्वरूप संलग्नक के कालम संख्या-6 में उल्लिखित शासनादेश संख्या-01/2019/277/38-3-2019-54एल0सी0/2004, दिनांक 15.02.2019 को जिसमें इन पदों को वर्ष 2018-2019 में दिनांक 28.02.2019 तक अस्थाई रूप से चलते रहने की स्वीकृति प्रदान की गई थी,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

के इस सीमा तक संशोधित माना जायेगा कि उक्त पदों की निरन्तरता केवल दिनांक 26.02.2019 तक के लिये ही दी गई थी।

4- उक्त पदों का वेतन आहरण अनुदान संख्या-13 के लेखा शीर्षक-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-03-मुख्य अधिष्ठान (ब्लाक बजट) के सुसंगत मानक मदों से आहरित किया जायेगा।

5- प्रमाणित किया जाता है कि इन पदों का स्थायीकरण कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-797/दस-87-24 (12)-86, दिनांक 25 मई, 1987 में निहित सभी शर्तो की पूर्ति के बाद किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोपरि

भवदीय,
लाल धीरेन्द्र राव
उप सचिव।

संख्या-02/2019/321/38-3-2019-54एल0सी0/2004

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/ग्राम्य विकास अनुभाग-1
(3) अपर आयुक्त (वित्त) ग्राम्य विकास उ0प्र0, लखनऊ।
(4) समस्त मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास।
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
लाल धीरेन्द्र राव
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-02/2019/321/38-3-2019-54एल0सी0/2004
दिनांक 27 फरवरी, 2019 का संलग्नक

संलग्नक

शासनादेश संख्या-02/2019/321/38-3-2019-54एल0सी0/2004 दिनांक 26 फरवरी, 2019 द्वारा ग्राम्य विकास विभाग में दिनांक 26.02.2019 से स्थायी किये गये पदों का विवरण:-

क्र0	पद नाम	स्थायी किये जाने वाले पदों की संख्या	स्वीकृत वेतनमान/ग्रेड वेतन	शासनादेश संख्या तथा दिनांक जिसमें पद मूल रूप में सृजित हुआ था	शासनादेश संख्या तथा दिनांक जिसमें अन्तिम बार पद के स्थायीकरण अथवा उसके बाद की तिथि तक उसका सातत्य स्वीकृत किया गया था	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी	242	रू0 9300-34,800, गेड वेतन रू0 4600 (सातवॉं वेतनमान-रू0 44,900-142400) (लेवल 7)	यू0ओ0-46/38-6-88-12पी0एस0/87 दिनांक 23.06.1988	01/2019/277/38-3-2019-54एल0सी0/2004, दिनांक 15 फरवरी, 2019	--

राम केशर यादव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।